



जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज जिला बस्तर, छत्तीसगढ़
(स्किल सिटी आड़ावाल, नकटीसेमरा, जगदलपुर -494001)



फोन नं.-07782264061, ई.मेल-cssdmbastar@gmail.com
वेबसाईड- http://www.Bastar.gov.in

// रुचि की अभिव्यक्ति //

कं./जि.परि.ला.का./रु.की.अभि./2022-2023/106

जगदलपुर, दिनांक 13/04/2022

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी जगदलपुर में मुख्यमंत्री कौशल विकास (MMKVY) एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास (PMKVY) के विभिन्न कोर्स अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण का संचालन करने हेतु कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी जगदलपुर जिला बस्तर प्रतिष्ठित एजेंसी/संस्था/प्रशिक्षण संस्थान/फर्म्स आदि द्वारा जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी जगदलपुर में "Management & Entrepreneurship and Professional Skills Council (MEPSC), IT-ITES, Plumbing, Capital Goods, Infrastructure Equipment, Automotive, Handicrafts and Carpet, Electronics and Hardware सेक्टर्स" के विभिन्न कोर्स में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय करने हेतु दिनांक 12/05/2022 को अपरान्ह 5:00 बजे तक मुहर बंद रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 13/05/2022 को अपरान्ह 3:00 बजे खोला जावेगा। प्रस्ताव केवल रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार की जावेगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जैसे की व्यक्तिगत डिलीवरी, एक्सप्रेस डिलीवरी आदि से प्राप्त नहीं की जावेगी।

प्रशिक्षण कार्य अंतर्गत चयनित हितग्राहियों को "Management & Entrepreneurship and Professional Skills Council (MEPSC), IT-ITES, Plumbing, Capital Goods, Infrastructure Equipment, Automotive, Handicrafts and Carpet, Electronics and Hardware सेक्टर्स" के विभिन्न कोर्स अंतर्गत जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी जगदलपुर में नवीन तकनीकों का उपयोग कर गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण प्रदाय किया जाना है। प्रशिक्षण हेतु आवश्यक पाठ्य एवं अन्य सामग्री संबंधित एजेंसी/संस्था/प्रशिक्षण संस्थान/फर्म्स आदि के द्वारा प्रदाय किया जावेगा। प्रशिक्षण हेतु निर्देश एवं पाठ्य सामग्री का माध्यम हिन्दी होना चाहिए। कोर्स का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	सेक्टर का नाम	कोर्स का नाम	कोर्स कोड	रिमाक
1	Management & Entrepreneurship and Professional Skills Council (MEPSC)	Unarmed Security Guard	MEP/Q7101	प्रशिक्षण छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं छ.ग. राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी रायपुर द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रदान किया जावेगा।
2	IT-ITES	Associate desktop Publishing	SSC/Q2702	
3	Plumbing	Plumber General	PSC/Q0104	
4	Capital Goods	Manual Metal Arc Welding/ Shielded Metal Arc Welding Welder	CSC/Q0204	
5	Infrastructure Equipment	Backhoe Loader Operator	IES/Q0101	
6	Automotive	Automotive Service Technician (Two and Three Wheelers)	ASC/Q1411	
7	Handicrafts and Carpet	Bamboo Utility Handicraft Assembler	HCS/Q8705	
8	Handicrafts and Carpet	Bamboo Mat Weaver	HCS/Q8702	
9	Electronics and Hardware	Solar Panel Installation Technician	ELE/Q5901	



जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज जिला बस्तर, छत्तीसगढ़
(स्किल सिटी आड़ावाल, नकटीसेमरा, जगदलपुर -494001)

फोन नं.-07782264061, ई.मेल-cssdmbastar@gmail.com
वेबसाईड- http://www.Bastar.gov.in



प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए संस्था हेतु आर्हताएं

1. संस्था संबंधित उक्त व्यवसाय/सेक्टर के कोर्स में राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (CSSDA) रायपुर छ.ग. के द्वारा जारी नवीन दिशानिर्देश/गाइडलाईन अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) के रूप में पंजीकृत हो।

या

2. ऐसे प्रशिक्षण संस्था/प्रतिष्ठान जो उक्त व्यवसायों में शिक्षण/प्रशिक्षण/व्यवसाय करते हो तथा छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कंपनीज एक्ट 1956/ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंड इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत हो (संस्था का पंजीयन विज्ञापित प्रसारण के दिनांक से न्यूनतम 3 वर्ष का हो)।

या

3. राज्य सरकार/भारत सरकार के अधीन संचालित किसी कौशल विकास कार्यक्रमों का विगत 03 वर्षों से संचालन कर रहा हो।
4. संस्था/प्रतिष्ठान का रूचि की अभिव्यक्ति जारी तिथि से कम से कम 03 वर्ष से अस्तित्व में होना आवश्यक है। विगत 03 वर्षों का सी.ए.द्वारा Approved वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. सरल क्रमांक 01, 02 एवं 03 के अनुसार पंजीकृत फर्म जो प्रशिक्षण का अनुभव रखता है, एवं संबंधित कोर्स के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक अधोसंरचना रखता है।
6. एजेंसी/संस्था/प्रशिक्षण संस्थान/फर्म्स आदि के पास PAN/TIN/GST/CST पंजीकरण संख्या होनी चाहिए।
7. संस्था के पास प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने की क्षमता का होना अनिवार्य होगा।
8. संस्था को पूर्व में राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा Blacklist नहीं किया गया हो। (50 रु. के स्टाम्प में इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा)।
9. आवेदक संस्था का वार्षिक टर्नओवर 30,00,000.00 (अक्षरी:- तीस लाख रु. मात्र) या अधिक होना अनिवार्य है।

सुरक्षा निधि

- ट्रेनिंग पार्टनर हेतु आवेदित संस्था द्वारा प्रति कोर्स राशि रु. 10,000.00 (दस हजार रूपये मात्र) सुरक्षा निधि बैंक ड्राफ्ट (बैंकर्स चेक/एफडीआर एवं अन्य कोई माध्यम स्वीकार्य नहीं होंगे) के रूप में आवेदन के साथ जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट "जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज जगदलपुर" के पक्ष में देय हो, जो वापसी योग्य होगा, जिस पर ब्याज देय नहीं होगा। प्रत्येक कोर्स के लिये अलग-अलग सुरक्षा निधि जमा किया जावे। उक्त राशि अनुबंध अवधि तक के लिए कार्यालय में जमा रहेगा।
- ट्रेनिंग पार्टनर नियुक्त होने के पश्चात चयनित संबंधित संस्था को छ.ग.राज्य कौशल विकास प्राधिकरण की नवीन गाइडलाईन के परिशिष्ट अ की कण्डिका 13 अनुसार चयन उपरांत प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व 50,000/- (पचास हजार रूपये मात्र) बैंक गारंटी कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज जगदलपुर के नाम से जमा करना होगा।

सामान्य शर्तें एवं दायित्व

1. प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर का पत्र क्र./एफ 10-30/2019/कौ.वि./42/दिनांक 16.08.2019 द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप प्रशिक्षण संचालन किया जाना होगा।
2. चयनित संस्था को कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज जिला बस्तर से अनुबंध संपादित कराना आवश्यक होगा, जो तीन प्रशिक्षण सत्र के लिए होगा, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा।



3. चयनित संस्था को प्रशिक्षण संचालन हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), RPL ट्रेनिंग के संचालन एवं अन्य गतिविधियों द्वारा कौशल प्रशिक्षण देने हेतु तय मानको के तहत एवं समय-समय पर जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज के प्रबंधन द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार ही प्रशिक्षण संचालित करना होगा।
4. चयनित संस्थाओं को शिक्षण कार्य लाईवलीहुड कॉलेज प्रबंधन द्वारा आवश्यकतानुसार आबंटित किया जावेगा। आवश्यकता नहीं होने पर लाईवलीहुड कॉलेज प्रबंधन प्रशिक्षण कार्य संबंधित संस्थाओं को देने बाध्य नहीं होगी।
5. प्रशिक्षणार्थियों के लिये Induction Kit (Uniform, Id Card, Hand Book etc.) एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक कच्चा सामग्री की व्यवस्था चयनित संस्था द्वारा ही किया जाएगा।
6. चयन उपरान्त प्रशिक्षण प्रारम्भ के पूर्व संस्था के पास कोर्स अनुरूप राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मापदण्डों के अनुरूप कोर्स विशेष हेतु एवं सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण हेतु योग्यताधारी प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक उपकरण (लैब सेटअप ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा किये जाने की स्थिति में) अनिवार्यतः उपलब्ध हो।
7. चयनित संस्था को जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज बस्तर द्वारा नियत समय सारणी के अनुसार ही प्रशिक्षण संचालन करना अनिवार्य होगा।
8. प्रशिक्षणार्थियों के मोबलाईजेशन एवं प्रशिक्षण उपरान्त नियोजन तथा हितग्राहियों के नियोजन पश्चात् 03 माह तक नियोजन ट्रेनिंग की जिम्मेदारी चयनित संस्था की ही होगी।
9. चयनित संस्था द्वारा CSSDA के मापदण्ड अनुसार गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा किसी भी समय यह पाया जाता है कि प्रशिक्षण मापदण्ड अनुसार नहीं है तो अनुबंध समाप्त कर सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।
10. चयनित संस्था के द्वारा नियुक्त किये गये, प्रशिक्षकों का मानदेय समय-समय पर राज्य कार्यालय के दिशा निर्देश अनुसार देय होगा। यदि प्रशिक्षकों के मानदेय के संबंध में कोई भी शिकायत कॉलेज प्रबंधन को प्राप्त होता है तो उसकी निराकरण की संपूर्ण जवाबदेय चयनित संस्था की होगी।
11. **प्रशिक्षण लागत की दर का निर्धारण :-** मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत प्रशिक्षण लागत छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप भुगतान हेतु निर्धारित किया जाएगा।
12. गैर आवासीय प्रशिक्षण की स्थिति में यदि चयनित संस्था के द्वारा गैर आवासीय प्रशिक्षण हेतु हितग्राहियों को कॉलेज तक लाने व ले जाने की व्यवस्था की जाती है तो उसके भुगतान संबंधित जिम्मेदारी चयनित संस्था की होगी।
13. चयनित संस्था/प्रतिष्ठान द्वारा कॉलेज परिसर में व्यवसाय विशेष हेतु प्रयोगशाला की स्थापना स्वयं द्वारा करने की स्थिति में किसी प्रकार का अग्रिम अथवा कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
14. **प्रशिक्षण राशि का विभाजन :-** छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक/914/रापलाकासो/स्था./2020-21 रायपुर दिनांक 28.01.2021 द्वारा जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी एवं ट्रेनिंग पार्टनर के मध्य प्रशिक्षण राशि के विभाजन के संबंध में क्रियान्वयन एवं अनुपालन हेतु निम्न सारणी अनुसार दिशा-निर्देश जारी की गई है:-



जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज जिला बस्तर, छत्तीसगढ़
(स्किल सिटी आड़ावाल, नकटीसेमरा, जगदलपुर -494001)

फोन नं.-07782264061, ईमेल-cssdmbastar@gmail.com
वेबसाईड- http://www.Bastar.gov.in



क्र.	लैब लागत राशि	प्रशिक्षण लागत राशि (%)	(A) भवन की उपलब्धता - लाईवलीहुड कॉलेज		(B) प्रशिक्षक एवं समस्त लैब सेटअप, उपकरण, आवश्यक कच्चा सामग्री की व्यवस्था - ट्रेनिंग पार्टनर	
			प्रशिक्षण राशि का भुगतान प्रतिशत (%)			
			लाईवलीहुड कॉलेज	ट्रेनिंग पार्टनर	लाईवलीहुड कॉलेज	ट्रेनिंग पार्टनर
1	10 लाख से अधिक होने की स्थिति में	100	10	90	30	70
2	10 लाख से कम होने की स्थिति में		15	85		

उपरोक्तानुसार निर्धारण के आधार पर राशि का भुगतान किया जावेगा। साथ ही राज्य कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप भुगतान की कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए सभी बाध्य होंगे।

- चयनित संस्था/प्रतिष्ठान को प्रशिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ से परीक्षा संपादन तक समस्त लिपिकीय कार्य, अनुशासन व्यवस्था, प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति, परिसर की साफ-सफाई, सुरक्षा एवं पेयजल व्यवस्था का दायित्व होगा एवं इस हेतु संस्था कॉलेज में अनुबंध अवधि तक के लिए मानव संसाधन की व्यवस्था स्वयं को करना होगा।
- लाईवलीहुड कॉलेज व ट्रेनिंग पार्टनर के मध्य विभाजन राशि के संबंध में राज्य कार्यालय द्वारा यदि विभाजन राशि नियम में परिवर्तन किया जाता है तो उस स्थिति में नियम के प्रभावी होने के दिनांक से या उसके बाद प्रारम्भ होने से लेकर समस्त प्रशिक्षणों में राशि का भुगतान नवीन नियम के अनुरूप किया जावेगा।
- चयनित संस्था को प्रशिक्षण राशि का भुगतान :- राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अद्यतन दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जावेगा।
- मूल्यांकन शुल्क का भुगतान :- MMKVY योजनांतर्गत मूल्यांकन शुल्क का भुगतान ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा किया जाएगा जो प्रशिक्षण शुल्क Claim के साथ दिया जाएगा एवं PMKVY and RPL योजनांतर्गत मूल्यांकन शुल्क का भुगतान लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा किया जाएगा।
- गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा, किसी भी समय यह पाया जाता है, कि प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण नहीं हो, तो अनुबंध समाप्त कर सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।
- राज्य कौशल विकास प्राधिकरण से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार नियोजन से संबंधित कार्यवाही करना अनिवार्य होगा। जिसमें समय-सीमा का विशेष ध्यान देवे।
- आवासीय प्रशिक्षण का निर्धारण लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा किया जावेगा, इसके अतिरिक्त अगर ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा स्वेच्छा से आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है, उस स्थिति में प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने हेतु आवास सुविधा व भोजन की व्यवस्था (चाय नाश्ता, दोपहर एवं रात्रि भोजन) की जिम्मेदारी ट्रेनिंग पार्टनर की होगी। इसके लिये पृथक से राशि देय नहीं होगी।
- इसके अतिरिक्त प्रत्येक ट्रेनिंग पार्टनर एवं उनके स्टाफ को लाईवलीहुड कॉलेज के Code of Conduct एवं नियमों के अनुसार आचरण करना होगा।
- किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज जगदलपुर का निर्णय अंतिम एवं सभी के लिये बंधनकारी होगा। निविदा निरस्त करने/लोकहित में उक्त वर्णित शर्तों में



जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज जिला बस्तर, छत्तीसगढ़
(स्किल सिटी आड़ावाल, नकटीसेमरा, जगदलपुर -494001)

फोन नं.-07782264061, ई.मेल-cssdmbastar@gmail.com
वेबसाईड- http://www.Bastar.gov.in



परिवर्तन का अधिकार कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज जगदलपुर के पास सुरक्षित है।

24. रूचि की अभिव्यक्ति की अधिक जानकारी जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज के नोटिस बोर्ड तथा जिला जगदलपुर की वेबसाईट www.bastar.gov.in, <http://splcs.cg.nic.in> से प्राप्त कर सकते हैं।
25. रूचि की अभिव्यक्ति से संबंधित समस्त न्यायालयिक प्रकरण जिला एवं सत्र न्यायालय जगदलपुर में होंगे।

ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण

1. चयन नियमों के आधार पर प्राप्त आवेदनों को पात्र/अपात्र ट्रेनिंग प्रदाताओं में सूचीबद्ध कर दिया जावेगा। तत्पश्चात् चयन हेतु गठित समिति द्वारा सभी पात्र आवेदनों का चयन मापदण्डों के आधार पर मूल्यांकन करके योग्य ट्रेनिंग पार्टनरों को सूचीबद्ध किया जायेगा। इस संबंध में आवेदित कोर्स में ट्रेनिंग का अनुभव/ट्रेनिंग गुणवत्ता/नियोजन की जानकारी/प्रशिक्षकों की योग्यता आदि मापदण्ड को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. पूर्व में कौशल प्रशिक्षण प्रदाय करने के अनुभव हेतु प्रपत्र - अ(II) की हस्ताक्षरित प्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
3. पूर्व में सेक्टरवार/कोर्सवार प्रशिक्षित हितग्राहियों की जानकारी प्रपत्र-अ(III)की हस्ताक्षरित प्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
4. हितग्राहियों की नियोजन हेतु रोजगार स्थिति की जानकारी प्रपत्र-अ(III) की हस्ताक्षरित प्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
5. आवेदित संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित सेक्टर के जॉबरोल/कोर्स हेतु प्रशिक्षित हितग्राहियों के शत प्रतिशत नियोजन हेतु Tie-up किये गये कम्पनी/संस्थान/फर्म/नियोक्ता की जानकारी प्रपत्र - अ(IV) के आधार हस्ताक्षरित प्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा। यहां पर उल्लेखनीय है कि संस्थाएं Tie-up किये गये विभिन्न कम्पनी/संस्था/फर्म/नियोक्ता से अनुबंध (MOU) की प्रमाणित जो उक्त अवधि हेतु मान्य हो, जिसकी प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
6. आवेदित संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित सेक्टर के जॉबरोल/कोर्स हेतु प्रशिक्षित हितग्राहियों के ऑनजॉब ट्रेनिंग हेतु Tie-up किये गए कम्पनी/संस्थान/फर्म/नियोक्ता की जानकारी प्रपत्र-अ(V) के आधार पर हस्ताक्षरित प्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा। यहां पर उल्लेखनीय है कि संस्थाएं Tie-up किये गये विभिन्न कंपनी/संस्था/फर्म/नियोक्ता से अनुबंध (MOU) की प्रमाणित जो अवधि हेतु मान्य हो, जिसकी प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
7. आवेदित कोर्स के प्रशिक्षण कार्य में नियोजित किये जाने वाले प्रशिक्षकों तथा साफ्ट स्किल प्रशिक्षक की जानकारी एवं प्रशिक्षण के संचालन हेतु अन्य मानव संसाधन की जानकारी हेतु प्रपत्र-ब की हस्ताक्षरित प्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
8. प्रत्येक संबंधित दस्तावेज पोर्टल या सत्यापित होना अनिवार्य है अन्यथा दस्तावेज मान्य नहीं किया जावेगा।
9. ट्रेनिंग पार्टनर का चयन Score matrix में वर्णित मापदण्डों के मूल्यांकन एवं सत्यापन के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर किया जावेगा।



जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज जिला बस्तर, छत्तीसगढ़
(स्किल सिटी आड़ावाल, नकटीसेमरा, जगदलपुर -494001)

फोन नं.-07782264061, ई.मेल-cssdmbastar@gmail.com
वेबसाईड- http://www.Bastar.gov.in



आवेदन की प्रक्रिया

रुचि की अभिव्यक्ति प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि - 12/05/2022

रुचि की अभिव्यक्ति खोलने की तिथि - 13/05/2022

1. आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिनांक 12/05/2022 को सायं 5.00 बजे तक कार्यालयीन दिवस में स्वीकार किये जावेंगे। निर्धारित समय पश्चात् प्राप्त आवेदन को अमान्य कर दिया जावेगा। दिनांक 13/05/2022 3:00 P.M. बजे आवेदन लिफाफे जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज आड़ावाल, जगदलपुर में चयन हेतु गठित समिति के समक्ष खोली जाएगी जिसमें आवेदक स्वयं/प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। आवेदन खुलने की तिथि संबंधी सूचना पृथक से नहीं दी जावेगी।
2. संस्थाये प्रत्येक कोर्स हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करें। यदि एक लिफाफे में एक से अधिक कोर्स हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो सबसे उपर लिखे हुये कोर्स के लिये आवेदन मान्य किया जावेगा। आवेदन पत्र का परिशिष्ट अ (समस्त) एवं ब भरा जाना अनिवार्य है।
3. प्रत्येक कोर्स हेतु, आवेदन प्रपत्र राशि रूपये 1000.00 (अक्षरीय- एक हजार रु. मात्र) के शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि नॉन रिफंडेबल है (जो प्राचार्य, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज जगदलपुर के नाम से देय होगा) द्वारा भुगतान कर शासकीय वेबसाईट www.bastar.gov.in, http://splcs.cg.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।
4. ऑनलाईन डाउनलोड प्रपत्र हेतु, आवेदन शुल्क राशि रु 1000.00 का बैंक ड्रॉफ्ट आवेदक को रुचि की अभिव्यक्ति की आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं किये जाने पर आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।
5. आवेदन लिफाफा के ऊपर सेक्टर एवं कोर्स का नाम एवं आवेदित संस्था का नाम एवं पूर्ण पता मोबाइल नंबर सहित अंकित किया जाना अनिवार्य है।
6. आवेदन पत्र निर्धारित प्रतिभूति राशि के डीमांड ड्राफ्ट सहित लिफाफे में मुहर बंद कर दिया जावेगा।
7. रुचि की अभिव्यक्ति केवल रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट के द्वारा ही स्वीकार की जावेगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जैसे की व्यक्तिगत डिलीवरी, एक्सप्रेस डिलीवरी आदि से प्राप्त नहीं की जावेगी।
8. आवेदन पत्र बंद लिफाफा में निर्धारित तिथि/समय तक जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज स्कील सिटी, नकटी सेमरा, आड़ावाल, जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.) पिन कोड-494001 में रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट के द्वारा जमा करना होगा। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार्य होंगे।

टीप :- कोर्स/सेक्टर से संबंधित एवं अन्य दिशा-निर्देश का विवरण देखने के लिए CSSDA के पोर्टल का अवलोकन किया जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह निदेशक
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी
जगदलपुर, बस्तर



जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज जिला बस्तर, छत्तीसगढ़
(स्किल सिटी आड़ावाल, नकटीसेमरा, जगदलपुर -494001)

फोन नं.-07782264061, ई.मेल-cssdmbastar@gmail.com
वेबसाईड- http://www.Bastar.gov.in



परिशिष्ट 'अ'

ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु Score Matrix

सेक्टर के आधार पर विवरण भरा जावे

क्रं.	विवरण	स्कोर विभाजन		अधिकतम स्कोर	आवश्यक प्रपत्र	रिमार्क
1	संस्था द्वारा पूर्व में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय का अनुभव	1-3 वर्ष	5	10	Work Order/ Related Documents	शासन द्वारा जारी कार्यदेश की प्रति
		3-5 वर्ष	8			
		>05	10			
2	आवेदित कोर्स में पूर्व में प्रमाणितकृत प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या	50 - 100	2	10	Related Documents	पोर्टल के प्रमाणित दस्तावेज की प्रति
		101 - 200	3			
		201-500	6			
		> 501	10			
3	आवेदित कोर्स में पूर्व में रोजगार एवं स्वरोजगार की स्थिति (%)	20%-40%	3	10	Related Documents	सेक्टरवार-कोर्सवार / योज नावार वित्तीय वर्षवार नियोजित हितग्राहियों की संख्यात्मक जानकारी
		41%-70%	6			
		>70%	10			
4	Trainer	TOT ट्रेनर का सर्टिफिकेट एवं बायोडाटा	15	20	ToT certificate	Trainer Bio data Education certificate & TOT Certificate नियुक्ति पत्र
		पात्र ट्रेनर का सर्टिफिकेट एवं बायोडाटा	5		Related Documents	
		Soft Skill ट्रेनर सर्टिफिकेट एवं बायोडाटा	5		Related Documents	
5	आवेदित कोर्स में रोजगार हेतु Industrial Linkage/ company से Tieup	20-40	5	20	MOU/any legal document regarding tie up with companies	Attach Company wise list in participating Sector on Employer Letter Head
		40-60	10			
		60-80	15			
		>80	20			
6	OJT हेतु Industrial Linkage/ company से Tieup	10-30	5	10	MOU/any legal document regarding tie up with companies	
		>30	10			
7	संस्था का Turnover	30- 50 lacs	3	10	Attach CA Certified Financial Statement	विगत 03 लगातार वर्षों का वित्तीय विवरण प्रस्तुत करे CA द्वारा Approved
		50-70 lacs	6			
		70-100lacs	8			
		>100 lacs	10			
8	प्रशिक्षण की कार्ययोजना	प्रेजेंटेशन	10	10	PPT प्रेजेंटेशन	साफ्ट कापी पेन ड्राईव में
			कुल अंक	100		

❖ स्कोर मैट्रिक्स के कुल अंक 100 में पात्रता हेतु संस्था को न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज जिला बस्तर, छत्तीसगढ़
(स्किल सिटी आड़ावाल, नकटीसेमरा, जगदलपुर -494001)
फोन नं.-07782264061, ई.मेल-cssdmbastar@gmail.com
वेबसाईड- http://www.Bastar.gov.in

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी,
जिला जगदलपुर

में ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु आवेदन पत्र

सेक्टर/व्यवसाय का नाम.....कोर्स.....ट्रेनिंग पार्टनर बनने हेतु।

1. संस्था का नाम

(पूर्ण पता एवं दूरभाष/फैक्स एवं ईमेल सहित)

2. संस्था नाम/VTP नाम व पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक:

(संस्था प्रमुख के नाम, पता, दूरभाष नं. की जानकारी दें):

3. संस्था का कार्य क्षेत्र

4. संस्था किन किन सेक्टर/कोर्स में प्रशिक्षण के लिए

पंजीकृत है एवं किन सेक्टर/कोर्स में प्रशिक्षण देने

का अनुभव है, कृपया उल्लेख करें।

5. आवेदित कोर्स के लिए प्रशिक्षकों एवं अन्य मानव

संसाधन के सेक्टरवार सूची एवं बायोडाटा व नियुक्ति

पत्र संलग्न करें (परिशिष्ट ब अनुसार)

6. NSQF अनुसार सेक्टरवार/कोर्स में उपलब्ध उपकरणों

की सूची संलग्न करें (परिशिष्ट अ (I) अनुसार)

7. विभिन्न सेक्टर/कोर्स में संस्था का प्रशिक्षण

(परिशिष्ट अ (I) अनुसार)

8. पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या


(परिशिष्ट अ (II) अनुसार)

9. पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों के रोजगार/स्वरोजगार की जानकारी:



जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज जिला बस्तर, छत्तीसगढ़
(स्किल सिटी आड़ावाल, नकटीसेमरा, जगदलपुर -494001)

फोन नं.-07782264061, ई.मेल-cssdmbastar@gmail.com
वेबसाईड- http://www.Bastar.gov.in



(परिशिष्ट अ (III) अनुसार)

10. प्रस्तावित/आवेदित सेक्टर/कोर्स में नियोजन की जानकारी :.....

(परिशिष्ट अ (IV) अनुसार)

11. प्रस्तावित/आवेदित सेक्टर/कोर्स में OJT हेतु टाई अप :.....

कम्पनियों का विवरण

(परिशिष्ट अ (V) अनुसार)

12. संस्था का अंकेक्षण प्रतिवेदन (विगत 03 वर्षों का) :.....

13. संस्था का TAN/PAN/GSTN प्रमाणित प्रति संलग्न करें:.....

14. संस्था का विगत 03 वर्षों का आयकर विवरणी की प्रति संलग्न करे :.....

15. सुरक्षा निधि की राशि बैंक ड्राफ्ट क्रमांक दिनांक बैंक का नाम

16. अन्य विवरण

टीप:- आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज सत्यापित कर संलग्न करें।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

(पदमुद्रा सहित)

घोषणा पत्र

एतद द्वारा संस्था यह घोषणा करता/करती है कि आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी सत्य है । ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में चयन की स्थिति में संस्था समस्त निर्देशों का पालन करेगा/करेगी।

स्थान

दिनांक

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

(पदमुद्रा सहित)



जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज जिला बस्तर, छत्तीसगढ़
(स्किल सिटी आड़ावाल, नकटीसेमरा, जगदलपुर -494001)

फोन नं.-07782264061, ई.मेल-cssdmbastar@gmail.com
वेबसाईड- <http://www.Bastar.gov.in>



परिशिष्ट - ब

आवेदित कोर्स के प्रशिक्षण कार्य में नियोजित किये जाने वाले प्रशिक्षकों तथा सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षक की जानकारी

क्र.	प्रशिक्षक का नाम	शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता	सेक्टर/जॉब रोल/कोर्स का नाम	कार्यानुभव	SSC TOT सर्टिफिकेट (हाँ/नहीं)	SSC TOT सर्टिफिकेट उत्तीर्ण तिथि एवं वैधता की तिथि	ट्रेनर टीआर आईडी	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रशिक्षण के संचालन हेतु अन्य मानव संसाधन (HR) की जानकारी

क्रमांक	पदनाम	नाम	शैक्षणिक योग्यता	कार्यानुभव	रिमार्क
1	2	3	4	5	6

नोट :- 1. कृपया आवेदन के पूर्व प्रशिक्षकों की योग्यता को NSQF कोर्स के आधार पर अवश्य जांच लेवे।
2. प्रमाणिकृत प्रशिक्षक के प्रमाणिकरण, अनुभव एवं नियुक्ति संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति संलग्न करें।

स्थान

दिनांक

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

(पदमुद्रा सहित)